न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 162 / 2011

उनवान

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी अशोक कुमार भण्डारी निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मदन लाल पिता छगन लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. अमीर अली वल्द अल्लाद्दीन बिसायती निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. नवरतनमल आत्मज कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. अनिल कुमार पिता कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. सुनील कुमार पिता कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 11 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6.2011

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री डी के सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री रामनिवास गुप्ता ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 एक्सपार्टी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 एवं 4 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल में अन्य आराजियात के साथ–साथ आराजी नम्बर 4620/1843 रकबा 3 बिस्वा स्थित है। यह आराजी खाता नम्बर 453 की आराजियात की है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम पर दर्ज है । इस आराजी या इसके किसी भी भाग से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है और कभी पूर्व भी नहीं रहा है और न ही पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा ही रहा है। आराजी नम्बर 4620/1843 मार्क ए बी सी डी से दर्शित किया गया है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 4620/1843 में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी इस आराजी की जमीन में संलग्न नक्शे में मार्क ई एफ जी डी से प्रदर्शित भाग पर दिनांक 18 जनवरी 2005 को जब वादी भगवानपुरा गया हुआ था तो प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज तौर पर बल पूर्वक, अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया तथा पांच–पांच फिट ऊंचाई की दिवारे बना ली है। इस ई से एफ से प्रदर्शित भाग की नपती उत्तर से दक्षिण 25 फिट, एफ से जी भाग की लम्बाई 5 फिट , ई से डी 3 फिट एवं जी से डी भाग 25 फिट है। इस प्रकार उपर दर्शाये अनुसार भू भाग पर जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की है की आराजी का हिस्सा है एवं जिस पर वादी एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने पूरी तरह से अवैध कब्जा कर वादी की अनुपस्थिति में निर्माण किया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त नाजायज तौर पर किये गये निर्माण को हटाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने निर्माण कर किये गये अवैध कब्जे को हटाने से इंकार कर दिया ।

2. संलग्न नक्शे में ई एफ जी डी से प्रदर्शित जमीन वादी एवं प्रतिवादी संया 2 से 4की खातेदारी की आराजी संख्या 4620/1843 रकबा 3 बिस्वा का भाग है एवं पूर्ण रूप से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की खातेदारी वह हक अधिकार की आराजी है। अतः वाद पत्र में मार्क ई एफ जी डी से प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा हटाया जाकर कब्जा दिलाया जावे एवं 100/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जा दिलाने का आदेश पारित किया जावे। साथ ही कब्जा हटाने एवं भविष्य में निर्माण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का भी निवेदन किया । जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण वकील वादी द्वारा आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने का आदेश पारित किया । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता मंजूदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी भी खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया/वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद लंबित होने के दौरान ही आराजी संख्या 4620/1843 के सभी खातेदारान ने उक्त आराजयात आराजी संख्या 4621/1843 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के साथ अपीलाण्ट को 40000/—रू0 के जायज प्रतिफल में दिनांक 14.10.2005 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया । इस पर अपीलाण्ट ने उक्त वाद में अपने को वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के स्थान पर बतौर वादी पक्षकार बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.3.2010 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.6.2011 को बहस समायत कर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 21.6.2011 को तारीख पेशी नियत की और दिनांक 21.6.2011 को वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एवं दीगर प्रतिवादीगण ने आपस में सांठ—गांठ कर एवं दुभिसंधि कर राजीनामा कप्रार्थ्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पर पत्रावली कायम होते हुए भी उस पर निर्णय न कर राजीनामे के आधार पर वादी रेस्पोडेण्ट का वाद ही खारिज कर दिया जो सर्वथा गलत होकर अवैध है क्योंकि दिनांक 14.10. 2005 से ही विवादित आराजियात बाबत हक व अधिकार अपीलाण्ट में निहित हो गये तो फिर वादी रेस्पोडेण्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट 3 से 5 का कोई हक व अधिकार उक्त आराजियात में निहित नहीं रहते हैं ऐसी हालत में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी रेस्पोडेण्ट के स्थान पर अपीलाण्ट को वादी के रूप में पक्षकार बनाना चाहिये था। किन्त अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि स्थिति के होते हुए भी वादी रेस्पोडेण्ट का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ही गलत एवं अवैध तरीके से खारिज कर दिया जिससे अपीलाण्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है इस कारण अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही हक व अधिकार प्राप्त होते हैं और कानूनन अधिकार निहित होते हैं। और अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य रेकार्ड पर आ चुका था तो फिर वादी रेस्पोडेण्ट एवं दीगर रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण को प्रकरण हाजा में राजीनामा करने का कोई हक अधिकार ही नहीं था । क्यों कि वादी रेस्पोडेण्ट एवं दीगर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 5 के जो हक अधिकार आराजी संख्या 4620/1843 में निहत थे वे अधिकार उन्होनें जाय प्रतिफल में अपीलाण्ट को हस्तान्तरित कर दिये तो फिर उनके द्वारा किस प्रकार एवं कैसे राजीनामा किया जा सकता है। इस सामान्य प्रकिया पर तनिक भी विचिार न की वादी रेस्पोडेण्ट का वाद राजीनामे के आधार पर खारिज करने में भारी भूल की है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यहॉ यह भी अंकित करना सुसंगत होगा कि दिनांक 16.6.2011 को पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पर समायत की गई और पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 21.6.2011 को नियत की गई तो फिर उस दिन अधिनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय पारित करना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं को प्रथमदृष्टया देखने से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि प्रतिवादी अमीर अली की पहचान अधिवक्ता प्रदीप व्यास द्वारा दिनांक 21.1.2011 को की जा रही है जबकि दिनांक 21.1.2011 को पेशी ही नियत नहीं है , इतना ही नहीं प्रकरण में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने जब

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया तो इस पर कोई ध्यान नहीं देकर वादी रेस्पोडेण्ट का दीगर प्रतिवादीगण के राजीनामे को आधार बना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो किसी भी कदर न तो विधिसंगत कहा जा सकता है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत ही पारित किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय किसी भी कदर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है जब मामला 2005 से ही लंबित था और 2005 में ही वादी रेस्पोडेण्ट दिगर रेस्पेडेण्ट संख्या 3 से 5 ने अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात मय उक्त चाह के हस्तान्तरित कर दी तो फिर निश्चित रूप से हक व अधिकार आलोच्य निर्णय से अपीलाण्ट के प्रभावित होते हैं व हो रहे हैं अर्थात अपीलाण्ट जो कि वादी रेस्पोडेण्ट एवं दीगर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 5 के फुट स्टेप पर आई है फिर भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट को वादी/ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के स्थान पर वाद में बतौर वादी पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा पत्रावली को आगामी कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण का निस्तारण राजीनामे के आधार पर किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामा को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया था । स्वयं खातेदार ने वादग्रस्त आराजी के भू भाग पर पर प्रत्यर्थी संख्या 2 का अवैध अतिक्रमण होने का कथन किया था। ऐसे वादग्रस्त भू भाग का दौराने वाद विचारण विक्रय किये जाने की स्थिति में क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने खारिज किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 ने न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) पेज 73, सिविल अपील नम्बर 5522–552306–2019 गुरूमित सिंह भाटिया बनाम किरण कान्त रोबिंसन व अन्य प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 एवं 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

10. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 अमीर अली के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के खातेदारी की खाता संख्या 453 की आराजी नम्बर 4620 /1843 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है । जिस पर प्रतिवादी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2005 को जब वादी बाहर गांव भगवानपुरा गया हुआ था उस समय नाजायज तौर पर बल पूर्वक, अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया तथा पांच–पांच फिट ऊंचाई की दिवारे बना ली है। ई से एफ से प्रदर्शित भाग की नपती उत्तर से दक्षिण 25 फिट, एफ से जी भाग की लम्बाई 5 फिट , ई से डी 3 फिट एवं जी से डी भाग 25 फिट भू भाग पर कब्जा किया गया है वह कब्जा वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को दिलाया जावे। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.5.2005 को दर्ज रजिस्टर किया गया ।

11. प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय में लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त आराजी नम्बर 4620 /1843 को तत्कालीन खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपीलार्थीया मंजू देवी पत्नि अशोक कुमार को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2005 के जरिये विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । वादग्रस्त आराजियात की क्रेता होने के नाते अपीलार्थीया मंजू देवी ने वादग्रस्त आराजी को क्रय करने के फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी में अपना हक अधिकार होने से अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी 12.6.2009 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीया का हक हित निहित है वादग्रस्त आराजियात की प्रार्थीया क्रेता है अतः वादी मदन लाल के स्थान पर प्रार्थीया को वादिया संयोजित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का नाम हटाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में लंबित था। नियत तारीख पेशी दिनांक 16.6.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पर आदेश हेतु प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.6.2011 को नियत किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वादी की ओर से दिनांक 21.1. 2011 को एक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "उक्त प्रकरण में दिनांक 24.3.2011 की पेशी नियत है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अब वादी वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहता है। अतः प्रकरण की पत्रावली सिगे से आज ही तलब फरमाई जाकर वादी का वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्यवाही नहीं चाहने से खारिज फरमाया जावे। " अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के निर्णय पारित करने हेतु नियत होने के उपरान्त दिनांक 21.1.2011 के राजीनामा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद पत्र खारिज किया गया एवं प्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी को खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि जिस वादग्रस्त आराजियात को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने अपीलार्थीया को विक्रय किया था। उस वक्त वादग्रस्त आराजियात बाबत वाद लंबित था। एवं वाद के लंबित रहते वादग्रस्त आराजियात को विक्रय किये जाने की स्थिति में केता को कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजियात में प्राप्त नहीं होते है। वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण करने का कथन करते हुए कब्जा पुनः दिलाये जाने का निवेदन किया था। जब वादग्रस्त भू भाग पर वादी एवं तत्कालीन खातेदार का कब्जा ही नहीं था ऐसी स्थिति में वादी एवं तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का वादग्रस्त भू भाग में कब्जा नहीं होने की स्थिति में वे उस हिस्से/भू भाग का विक्रय नहीं कर सकते है एंव ऐसा किया गया विक्रय शून्य एवं अवैध है। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) पेज 73, सिविल अपील नम्बर 5522–552306–2019 गुरूमित सिंह भाटिया बनाम किरण कान्त रोबिंसन व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया । न्यायिक उद्धरण अनुसार वाद लंबित रहते एवं निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद भी सम्पति अंतरित की गई थी। जबकि वर्तमान अपीलाधीन प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायिक उद्धरण की हूबहू स्थिति नहीं बनती है। न्यायिक उद्धरण ए आई आर 2007 राजस्थान 73 से ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट (4 **of 1882) S- 52 –Doctrine of lis pendens- Applicability** उपरोक्त न्यायिक उद्धरण का ससम्मान अवलोकन किया गया । यदि वाद लंबित रहते विक्रय पत्र निष्पादित कराया जाता है तो राजस्व वाद के अंतिम निर्णय से ऐसे विक्रय पत्र प्रभावित होते हैं तथा वाद खारिज होने पर दौराने वाद किये गये अंतरण के दस्तावेज सिविल न्यायालय से खारिज कराया जाना आवश्यक नहीं पाया गया है। इस क्रम में अपीलाधीन प्रकरण का अवलोकन किया गया । वाद के अंतिम निस्तारण पर अपीलाण्ट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र का कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं होता है। अतः यह न्यायिक उद्धरण भी हूबहू चस्पा नहीं होता है। प्रकरण के विस्तृत अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट मदन लाल द्वारा वाद बाबत कब्जेयाबी दिनांक 22.2.2005 को प्रस्तुत किया गया था तथा आराजी संख्या 4620/1843 रकबा 3 बिस्वा में से 25 फिट लम्बा व लगभग 4 फिट चौडे हिस्से जो संलग्न नक्शे में ई एफ जी डी से प्रदर्शित किया जाकर प्रस्तुत किया था पर प्रतिवादी संख्या 1 अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई निर्माण नहीं कराने व दौराने कार्यवाही दावा निर्माण करा लेने पर निर्माण को हटाने बाबत प्रस्तुत किया था । यह वाद कब्जेयाबी का था जिसे विस्तृत विवेचन उपरान्त निस्तारित किया जाना था परन्तु वादी द्वारा राजीनामा किया जाकर वाद कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किये जाने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद आपसी राजीनामे के आधार पर खारिज किया गया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट मंजू देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है। ऐसे में प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के निर्णय की अपील नहीं की गई है तथा न्यायालय हाजा में अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अपील को न्यायहित में सुना जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जा रहा है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को वादी संस्थानित कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। इसीलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मीमों में अपीलाण्ट द्वारा प्रकट किया गया है कि प्रकरण हाजा में अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाने हेतु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र विधिवत प्रस्तुत किया गया था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय से अपीलाण्ट के हकों व अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अपीलाण्ट का यह भी कहना है कि आलोच्य निर्णय से अपीलाण्ट को पुनः नया वाद प्रस्तुत करना पडेगा जिसमें भारी समय एवं धन बर्बाद करना पडेगा जो न्याय की कतई मंशा नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा पत्रावली को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का अनुरोध किया । उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद खारिज किया गया है । अपीलाण्ट यदि कोई अनुतोष चाहती है तो नया वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित निर्णय दिनांक 21.6.2011 को यथावत रखा जाता हैं। डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/162/2011

उनवान

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी अशोक कुमार भण्डारी निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मदन लाल पिता छगन लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. अमीर अली वल्द अल्लाद्दीन बिसायती निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. नवरतनमल आत्मज कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. अनिल कुमार पिता कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. सुनील कुमार पिता कन्हैया लाल महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 11/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6.2011

—

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/162/2011** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 25.9.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री डी के सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास गुप्ता उपस्थिति मे दिनांक 25.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.6.2011 को यथावत रखा जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

25/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस